

# राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

## आज्ञा

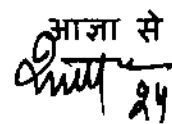
क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 619 /2021

दिनांक 26.02.2021

श्रीमती अल्का शर्मा (RJ0186), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-04, अलवर को दिनांक 08.02.2021 से 12.02.2021 तक 05 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 07.02.2021 एवं 13.02.2021 से 14.02.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्रीमती शर्मा की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-01, अलवर / अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-01, अलवर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-04, अलवर के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से  
 24.2.2021

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.2(4)/26/2013/ 1470

दिनांक 26.02.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-04, अलवर को उनके पत्रांक 77 दिनांक 15.02.2021 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती अल्का शर्मा (RJ0186), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-04, अलवर ।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-01, अलवर ।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-01, अलवर ।



सहायक रजिस्ट्रार